p; Need to shut down slaughter houses being operated in the heart of the cities in Uttar Pradesh and shift them to places far from human habitations.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) ः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ माह पूर्व देश के अन्दर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों तथा खुले मांस की बिक्री पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इन्हें तत्काल बन्द करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कोई प्रभावी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती है। खुलेआम चौराहे और हर मौहल्ले में मांस की बिक्री की जा रही है। खुला मांस तमाम प्रकार की संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू आदि की दृष्टि से भी खतरनाक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने तथा खुलेआम बेचे जा रहे मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से रोकने अथवा उन्हें मानव बस्तियों से दूर स्थानान्तरित करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ किये जा रहे खिलवाड़ को बन्द किया जाए।